संचिका सं0–10/अति०–08–09/2017 1142(10)

बिहार सरकार

<u>स्वास्थ्य विभाग</u>

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक– 21-02-19

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में सारण प्रमंडल छपरा के 8 (आठ) अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य हेतु 1,65,03,000X8=13,20,24,000/- एवं एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन निर्माण कार्य हेतु 26,98,000/– रूपये अर्थात कुल रुपये 13,20,24,000+26,98,000= 13,47,22,000/- (तेरह करोड़ सैंतालिस लाख बाइस हजार रुपये) मात्र योजना की प्रशासनिक स्वीकृति ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के पत्रांक–3301, दिनांक–02.12.2017 से अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन निर्माण के साथ अन्य कार्य हेतु क्रमशः कुल रुपये 1,65,03,000/– एवं 26,98,000/–रुपये का मॉडल प्राक्कलन प्राप्त है। प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में सारण प्रमंडल छपरा के 8 (आठ) अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य हेतु 1,65,03,000X8=13,20,24,000/- एवं एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन निर्माण कार्य हेतु 26,98,000/– रुपये अर्थात कुल रुपये 13,20,24,000+26,98,000=13,47,22,000/- (तेरह करोड़ सैंतालिस लाख बाइस हजार रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

2. आठ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र जिसके भवनों का निर्माण कराया जाना है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्रमांक	प्रमंडल	जिला	प्रखंड	स्वास्थ्य केन्द्र
1	सारण प्रमंडल छपरा	गोपालगंज	कुचायकोट	अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, भोजछापर (रमजीता)
2			हथुवा	अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, कुसौंधी
3			कुचायकोट	अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, सिपाया
4			फुलवरिया	अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, सोलार कला
5		सिवान	सिसवन	अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, चैनपुर
6			गोरियाकोठी	अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, सिसई
7			रघुनाथपुर	अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, खुजवा
8			हुसैनगंज	अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, करहनु
9		सारण	जलालपुर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र, सवरीडीह

3. उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना (BMSIC) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायगाः–

(i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।

(ii) निगम द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा।

(iii) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(iv) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रहे।

(v) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा।

(vi) निगम के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय।

4. इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं0–20 के अंतर्गत राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष–02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उपशीर्ष–0109–स्वास्थ्य उपकेन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवनों का निर्माण, विपत्र कोड–20-4210020510109, विषय शीर्ष–(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

5. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी बी0टी0सी0 फार्म संख्या–46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से निगम के पी0एल0 खाता संख्या–244 एवं विपत्र कोड–K8448001110002 में सुलभ करायेंगे ।

6. बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण विवरणी (Plus-Minus Memoranda) माहवार तथा एतद्संबंधी डी0सी0 विपत्र छः माह के अन्दर विभाग से अग्रसारित कराते हुए महालेखाकार, बिहार को सुलभ करायेंगे ।

7. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 वि0(2), दिनांक–17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक–27.11.2007 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।

8. राशि की निकासी नया सचिवालय, विकास भवन, कोषागार, पटना से की जायेगी ।

9. संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

10. प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति की सहमति प्राप्त है।

11. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

12. प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

13. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–10/अति०–08–09/2017 के पृष्ठ–16/टि0 में प्राप्त है ।

14. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है । आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांकः– 1142(10) /स्वा0, पटना, दिनांकः– 21-02-19

प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–10/प्रशाखा के अन्य सभी सहायक/आई0टी0 मैंनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव ।